यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण

प्रथम तल, कॉमर्शियल कॉम्पलैक्स, पी–2, सैक्टर–ओमेगा–1, ग्रेटर नौएडा।

पत्रांक: वाई.ई.ए / वित्त / 700 / 2024
दिनांक: 01/10/2024

कार्यालय आदेश

प्राधिकरण की 82 वीं बोर्ड बैठक के मद संख्या 03 में **"प्राधिकरण द्वारा एक मुश्त समाधान पॉलिसी योजना (One Time settlement policy, 2024/06) लाये जाने के सम्बन्ध में"** प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, जिसपर संचालक मण्डल द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है। अतः प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत प्रस्ताव एवं उसपर प्राप्त अनुमोदन के के क्रम में ओ.टी.एस **(One Time settlement policy, 2024/06)** योजना एक माह दिनांक 01.10.2024 से 31.10.2024 तक के लिए लाये जाने हेतु निम्न नीति निर्धारित की जाती है :–

(क) आवंटियों के लिये निर्धारित श्रेणी :–

1. ओ.टी.एस. योजना, विभिन्न परिसम्पत्तियों (डेवलपर/बिल्डर टाउनशिप/ग्रुप हाउसिंग को छोड़ते हुए) यथा आवासीय, बी.एच.एस., संस्थागत, वाणिज्यिक, औद्योगिक एवं मिक्स लैण्ड यूज योजना, 25–250 एकड़ योजना एवं 7%आबादी भूखण्ड पर लागू होगी।

(ख) सिद्धान्तः–

1. ओ.टी.एस. योजनान्तर्गत सभी डिफाल्टर आवंटियों (आवंटन धनराशि जमा होने के उपरान्त) से साधारण ब्याज, जो सम्पत्ति आवंटन के समय किस्तों के निर्धारण पर लागू ब्याज दर एवं समय समय पर प्राधिकरण में लागू ब्याज दर के बराबर होगा, लिया जायेगा।
2. आवंटियों से किसी भी प्रकार का दण्ड ब्याज नही लिया जायेगा। डिफाल्ट की अवधि का ब्याज उक्त उल्लिखित सिद्धान्त (1) के अनुसार लिया जायेगा।
3. आवंटी द्वारा किये गये भुगतान को सर्वप्रथम डिफाल्ट की अवधि तक ओ.टी.एस. आधार पर आगणित ब्याज, तदोपरान्त बकाया मूल धनराशि के सापेक्ष समायोजित कियें जायेंगे।
4. ओ.टी.एस योजना में गणना के उपरान्त यदि अधिक जमा (surplus)धनराशि आती है, तो उसे वापस नहीं किया जायेगा।
5. यदि किसी आवंटी द्वारा स्वानुरोध अथवा किसी शासनादेश के क्रम में देयों/किस्तों का पुर्ननिर्धारण कराया गया है, तो ऐसे प्रकरणों में ओ0टी0एस0 की गणना सम्पत्ति के आवंटन के समय निर्धारित किस्तों एवं ब्याज के अनुरूप की जाएगी।
6. बिन्दु 1 के अनुसार केवल आवंटियों के प्रीमियम एवं अतिरिक्त प्रतिकर की किस्तों के सापेक्ष **डिफाल्ट ब्याज** पर छूट की अनुमन्यता हेतु ओ0टी0एस0 सुविधा लाभकारी होगी, **अन्य देयताएं** पूर्व की भांति यथावत रहेगी।
7. जिन आवंटियों द्वारा रेरा एवं अन्य किसी मा0 न्यायालय/फोरम में वाद योजित किया गया है तो ऐसे प्रकरणों में ओ.टी.एस योजना की निर्धारित अवधि तक वाद वापस लिये जाने के उपरान्त ही ओ0टी0एस0 की सुविधा अनुमन्य की जायेगी।
8. जिन आवंटनों के सापेक्ष पूर्ण भुगतान हो चुका है उन प्रकरणों पर ओ.टी.एस योजना लागू नहीं होगी।

(ग) प्रोसेसिंग फीस :–

क्रं0 सं0	सम्पत्तियों का प्रकार	प्रोसेसिंग फीस (रू0)	आवेदन के साथ जमा की जाने वाली प्रारम्भिक धनराशि (रू0)	अभयुक्ति
1.	ई.डब्लू.एस., एल.आई.जी भवन	100	5,000	ओ.टी.एस. आवेदन पत्र के साथ जमा की जाने वाली धनराशि, आगणित लागत/देय धनराशि में समायोजित की जाएगी।
2.	7 प्रतिशत आबादी भूखण्ड	100	5,000	
3.	एम.आई.जी. भवन/आवासीय भूखण्ड	500	10,000	

01/X/24

4.	औद्योगिक एवं मिक्स लैण्ड यूज उपयोग की सम्पत्तियों तथा व्यावसायिक निर्मित दुकानों व दुकानों के भूखण्डों पर	5,000 (18 प्रतिशत जी.एस. टी. अतिरिक्त)	1,00,000	परन्तु प्रोसेसिंग फीस ओ.टी.एस. का मात्र शुल्क है, इसे किसी भी देय धनराशि में समायोजित नहीं किया जायेगा।
5.	संस्थागत एवं क्रम संख्या – 3 के अतिरिक्त अन्य समस्त व्यवसायिक सम्पत्तियों पर	10,000 18 प्रतिशत जी.एस. टी. अतिरिक्त)	5,00,000	

(घ) आवेदन हेतु समयावधि :–

1. प्राधिकरण बोर्ड के निर्णय के क्रम में सम्पत्ति विभाग द्वारा सभी डिफाल्टर्स को ई–मेल/एस.एम.एस./पत्र के माध्यम से डिफाल्ट धनराशि से सूचित करते हुये ओ.टी.एस योजना से अवगत कराया जाएगा। साथ ही योजना का व्यापक प्रचार प्रसार (शिविर/गोष्ठी का आयोजन, होर्डिंग आदि के माध्यम से प्रचार –प्रसार किया जाये) करते हुये इसके संचालन हेतु अन्य आवश्यक कार्यवाही मार्केटिंग एवं सिस्टम विभाग द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।
2. ओ.टी.एस. हेतु आवेदन पत्र देने के लिए अन्तिम तिथि उक्त योजना प्राधिकरण में लागू किये जाने की तिथि दिनांक 01.10.2024 से दिनांक 31.10.2024 तक के लिए निर्धारित की जाएगी। इस तिथि के बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।
3. ओ.टी.एस. आवेदन पत्र निर्धारित अवधि में जमा करने के साथ–साथ अपेक्षित प्रोसेसिंग फीस तथा प्रारम्भिक धनराशि ऑनलाईन जमा किया जाना अनिवार्य है, जिसके उपरान्त ही आवेदन स्वीकार किया जाएगा।

(ङ) आवेदन की प्रकिया :–

1. आवंटियों द्वारा आवेदन केवल ऑनलाईन किया जा सकेगा। ऑनलाईन आवेदन किये जाने हेतु ओ.टी.एस. योजना/06–2024 का प्राधिकरण की वेबसाईट www.yamunaexpresswayauthority.com के होमपेज पर लिंक सिस्टम व सम्पत्ति विभाग द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी जिसके माध्यम से संबंधित आवंटियों द्वारा ऑनलाईन आवेदन एवं फीस जमा की जायेगी। आवेदकों के लिये ऑनलाईन आवदेन की प्रकिया सुविधाजनक बनाने हेतु प्राधिकरण के सम्पत्ति विभाग में हेल्प–डेस्क की व्यवस्था सिस्टम एवं सम्पत्ति विभाग द्वारा संयुक्त रूप से की जायेगी तथा सिस्टम व सम्पत्ति विभाग द्वारा कॉल सेन्टर की व्यवस्था की जायेगी।
2. ओ.टी.एस. गणना के उपरान्त गणनाशीट एवं वाछिंत धनराशि जमा करने की सूचना आवंटी द्वारा दिये गये ई–मेल/एम.एम.एस./पत्र के माध्यम से सिस्टम व सम्पत्ति विभाग द्वारा दी जायेगी।

(च) आवेदन–पत्रों का निस्तारण :–

ओ.टी.एस. आवेदनों का निस्तारण आवेदन प्राप्ति की तिथि से 01 माह में किया जायेगा। तत्पश्चात निरस्तीकरण एवं प्रवर्तन (इंफोर्समेंट) की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। जिन प्रकरणों में ओ.टी.एस. हेतु आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुआ है, ऐसे डिफाल्टरों के विरूद्व नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

(छ) भुगतान की प्रकिया :–

1. डिफाल्ट धनराशि तथा भविष्य की देय किश्तों के मूल प्रीमियम को मिलाकर dues बनाया जाएगा। डिफाल्ट में से केवल penal interest छोड़ा जाएगा।
2. इस प्रकार जो ओ.टी.एस गणना के उपरान्त यदि देय धनराशि रू0 50.00 लाख तक हो, तो उक्त धनराशि का 1/3 भाग, मांग–पत्र डिस्पैच (डिस्पैच का तात्पर्य एस.एम.एस, ई–मेल एवं हार्ड कॉपी से है) होने की तिथि से 30 दिन में और अवशेष 2/3 भाग, 03 द्विमासिक किश्तों में (2/9 भाग प्रत्येक दो माह पर देय होगा) 06 माह में 10 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से जमा करना होगा। विलम्ब की स्थिति में 03 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज भी देय होगा। परन्तु अन्तिम किश्त हेतु निर्धारित तिथि तक यदि सूचित की गयी समस्त

01/X/24

किश्तों की धनराशि जमा कर दी जाती है, तो ओ.टी.एस मान्य होगा, अन्यथा ओ.टी.एस निरस्त हो जायेगी। इस प्रकार सम्पूर्ण धनराशि कुल सात माह में जमा करनी होगी।

3. ओ.टी.एस गणना के उपरान्त यदि देय धनराशि रू0 50.00 लाख से अधिक हो, तो उक्त धनराशि का 1/2 भाग, मांग–पत्र डिस्पैच होने की तिथि से 30 दिन में और अवशेष 1/2 भाग, 03 द्विमासिक किश्तों अर्थात 06 माह में 10 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से जमा करना होगा। इस प्रकार सम्पूर्ण धनराशि कुल सात माह में जमा करनी होगी।
4. प्रथम बार विलम्ब से भुगतान किए जाने पर 03 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज भी देय होगा। किन्तु पुनः विलम्ब किए जाने पर ओ.टी.एस सुविधा निरस्त कर दी जायेगी।

(ज) बकाया धनराशि की वसूली :–

1. ओ.टी.एस. गणना के उपरान्त यमुना प्राधिकरण को देय कोई धनराशि का भुगतान यदि निर्धारित समय–सीमान्तर्गत आवंटी द्वारा नहीं किया जाता है, तो उसकी वसूली भू–राजस्व के बकाये की भांति की जायेगी।
2. ओ0टी0एस0 हेतु वांछित धनराशि (पैरा 'छ' के बिन्दु सं0–1 के अनुसार) जमा करने में असफल आवेदकों द्वारा ओ0टी0एस0 हेतु जमा धनराशि उसकी अतिदेयता में समायोजित कर ली जायेगी तथा उसे भविष्य में कभी ओ0टी0एस0 की सुविधा का लाभ अनुमन्य नहीं किया जायेगा।
3. ओ.टी.एस. योजना के कियान्वयन की मासिक प्रगति से संबंधित आकंडों का संकलन प्राधिकरण के संबंधित सम्पत्ति विभाग द्वारा किया जायेगा। प्राधिकरण द्वारा अपने स्तर पर एक समिति गठित की जायेगी, जिसके द्वारा नियमित समीक्षा की जायेगी।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

(विशम्भर **बाबू**)
महाप्रबन्धक (वित्त)

प्रतिलिपि :–

- वरिष्ठ स्टॉफ आफिसर, मुख्य कार्यपालक अधिकारी को महोदय के सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया/महोदय (एस/के) को सूचनार्थ प्रेषित।
- विशेष कार्याधिकारी–(एस.बी/एस.के.एस/आर/एम0) को सूचनार्थ प्रेषित।
- उप महाप्रबन्धक (वित्त) को अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु।
- समस्त सहायक महाप्रबन्धक (सम्पत्ति)/(उद्योग)/(संस्थागत)/(वाणिज्यिक) को अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु।
- वरिष्ठ परियोजना अधिकारी को अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु।
- स्टॉफ ऑफिसर, मार्केटिंग को समचार पत्रों में प्रकाशन हेतु।
- समस्त प्रबन्धक (सम्पत्ति)/(संस्थागत) को अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु।
- प्रबन्धक (सिस्टम) को उक्त नीति को पूर्व की भांति प्राधिकरण की वेबसाईट पर प्रदर्शित किये जाने एवं अन्य आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु प्रेषित।
- गार्ड फाईल।

महाप्रबन्धक (वित्त)
01/X/24